परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

संख्या–263(जी)एलएएस/2012–68मिस/एलएएस/10 दिनांक 24 जनवरी :2013

1–वित्त नियंत्रक,
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

2–प्रधान प्रबन्धक(के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

3–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के प्राविधानों के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या–1546एफडी/06एफडी/81 दिनांक 29 जुलाई, 1983 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संदर्भित विषय में कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती के सम्बन्ध में पूर्व से ही निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु देखने में यह परिलक्षित हुआ है कि कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 अंशदान की कटौती नहीं की गयी, जैसे कि केन्द्रीय कार्यशाला/डा0रा0म0लो0कार्यशाला में कार्यरत प्रधान प्रबन्धक श्री जगत नरायन सिंह के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती 1973 से 1987 के मध्य नहीं की गयी थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ई0पी0एफ0 की नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान की धनराशि जमा करने का आदेश दिया गया, जिससे निगम को ब्याज के मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि की क्षति हुई।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकों कि पेन्शन की सुविधा अनुमन्य नहीं है, के वेतन से ई0पी0एफ0 अंशदान की कटौती करना सुनिश्चित करते हुए ई0पी0एफ0 नियमों के अनुसार समय के भीतर धनराशि ई0पी0एफ0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, जिसमें कि कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती न किये जाने एवं समय से धनराशि ई0पी0एफ0 कार्यालय में न जमा किये जाने के फलस्वरूप परिवहन निगम के हितों के विपरीत कोई आदेश पारित होता है तो संबंधित दायित्वाधीन अधिकारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

आलोक

( आलोक कुमार )
प्रबन्ध निदेशक